8/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुप
स्थित आवाज लगाई गई कोई उप० नहीं।
न्यायालय समय समाप्ति के पूर्व कि
4 बजे तक आवाज लगाई गई किन्तु
भी कोई उप० नहीं। लिहाजा प्रकरण
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नत्थी के बाद की एक दाखिल
दफ्तर हो।